अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मसूदा
श्री किशनसिंह वगैरह बनाम पंचायत समिति व अन्य
किस्म मुकदमा 212 आर0टी0ए0 नंबर 61 सन्..2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/1/19	वकुलांए फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र 212 राज0 काश्त0 अधि0 पर पर बहस सुनी गई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किया है, कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमियां ग्राम किराप में विद्यमान है, प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त एंव खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 96 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा मौजा किराप पर तालाब है जिसे मानाघाटी तालाब के नाम से जाना व पहचाना जाता है। इस तालाब के पानी से प्रार्थीगण सहित सभी खातेदारान की लगभग 300 बीघा भूमि की खेती की पिलाई/फसलो की सिचाई की जाती है। उक्त मानाघाटी तालाब में गत वर्ष अच्छी वर्षा होने से तालाब पानी से पूरा भर गया था जिससे प्रतिवादी संख्या 5 सहित अन्य मछली पालन का धंधा करने वालो के मन में लालच आ गया और इन्होने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को गलत तथ्य बताकर तथा अनुचित व नाजायज दवाब बनाकर तथा बहकाकर उक्त खातेदारी के तालाब में मछली पालन हेतू ठेका/टेण्डर देने हेतू उकासाया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने खातेदारो की सहमति के बिना तथा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उक्त तालाब मानाघाटी किराप में वर्ष 2012–13 के लिय मत्स्याखेट के लिये ठेका प्रतिवादी संख्या 5 को दिनांक 31.8.2012 को दे दिया गया है जो कि अनुचित होने के साथा गैर कानूनी भी है। उक्त ठेका नही देने के विषय में वादीगण तथा ग्राम पंचायत किराप के सरपंच ने दिनांक 28.8.2012 को मच्छी पालन का टेण्डर नही करवाने बाबत प्रार्थना पत्र भी प्रतिवादी संख्या 1 को दिया गया था। प्रार्थीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 राजसरकार जिसके प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व 4 अधिनस्थ	

को दिनांक 10.5.2013 को एक विधिवत नोटिस प्रेषित किया जाकर मांग की गई थी कि प्रतिवादी संख्या 5 के हक में जारी किया गया टेण्डर को निरस्त किया जावे। प्रार्थीगण के हक में प्रथम दृष्टिया मामला बनता है, तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अगर अप्रार्थीगण को खसरा नंबर 96 में विद्यमान तालाब में मत्स्याखेट से नही रोका गया तथा मत्स्याखेट के ठेके को निरस्त नही किया तो प्रार्थीगण सहित समस्त खातेदारान अपने खेतो की सिचाई नही कर पायेंगे और उनकी फसले सूख कर खराब हो जावेगी उनको क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपया पैसो में नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जो ठेका प्रतिवादी संख्या 5 को जारी किया गया है, उसे निरस्त किया जावे। तथा मूल वाद के निस्तारण तक प्रतिवादी संख्या 5 को निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि वो वाद पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित उक्त तालाब मानाघाटी किराप में मच्छी पालन नही करे व नही करावे।

([illegible])
उपखण्ड [illegible] एवं [illegible] कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

अप्रार्थी संख्या 2 व 5 ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के तथ्यो को इन्कार करते हुये कथन किया है, कि प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान की 300 बीघा भूमि की पिलाई मानाघाटी तालाब से नही होती है। मानाघाटी तालाब किराप का पानी पशु पक्षियो के पीने एंव मछली पालन में ही काम में लिया जाता है। तथा इस तालाब का पानी भरा रखा जाता है, ताकि आस पास के कुंओ में जलस्तर बना रहे एंव पानी की कमी नही हो तथा ग्राम किराप में पीने के पानी कि व्यवस्था हेतू सरकारी कुंआ स्थित है, इस कुंए से सम्पूर्ण गांव में पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने क्षैत्राधिकार में होने एंव ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मत्स्य पालन अधिकारी की जानकारी में दिनांक 22.8.2012 को मत्स्य ठेका निविदा सूचना आमंत्रित की जिसके तहत अप्रार्थी संख्या 5 ने भी निविदा जमा कराई एवं सबसे उंची बोली होने के कारण अप्रार्थी संख्या 5 को पूर्ण रूप से विधिक प्रक्रिया अपनाकर 31.08.2012 को निविदा खोलकर अप्रार्थी संख्या 5 को मानाघाटी तालाब किराप का मतस्य पालन हेतु पांच वर्ष के लिए ठेका दिया। इस आदेश प्राप्ति के पश्चात् ही अप्रार्थी संख्या 5 को दिनांक 31.08.2012 को जो ठेका दिया वह विधिक रूप से सही दिया गया एवं उचित है। अप्रार्थी संख्या 1 ने पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर सभी की जानकारी में पंचायत समिति मसूदा के क्षेत्र के सभी ग्रामों में स्थित तालाबों का मछली पालन हेतु निविदा आमंत्रित कर ठेका दिया। अप्रार्थी सं. 5 को अकेले ही ठेका नहीं दिया गया। दिनांक 31.8.2012 को ठेका होने के पश्चात भी दिनांक 16.11.2012 को अप्रार्थी संख्या 1 के आदेशानुसार उक्त तालाब का 60 प्रतिशत पानीसिंचाई हेतू भी छोडा गया तथा 40 प्रतिशत पानी कुंओ के जलस्तर बनाये रखने हेतू एंव मछली पालन हेतू सुरक्षित रखा गया तथा कमेटी सदस्यो द्धारा दिनांक 17.11.2012 को जल कमेटी सदस्यो ने 60 प्रतिशत पानी पूर्ण होने के पश्चात मोरी बन्द कर दी गई जिससे कमेटी सदस्य एंव समस्त ग्रामवासीयो के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी संख्या 5 ने दो लाख रूपये बीज के एंव दो लाख रूपये मछली दोन के तथा एक लाख रूपये रखवाली हेतू लेबर के खर्च हो चुके है। अप्रार्थी संख्या 5 ने 26,333/– रूपये अप्रार्थी संख्या 1 को जमा

कराये एंव मछली बीज, मछली दाना देखभाल एंव लेबर को मिलाकर 5 लाख रूपये खर्च किये तथा स्वय भी इसी व्यवसाय पर आधारित रहा एंव अपने घर खर्च हेतू उधार रूपये लेकर अपना एंव अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। यदि ठेका निरस्त किये जाने से अप्रार्थी संख्या 5 को असहनीय एंव अपूर्णीय क्षति होगी तथा अप्रार्थी संख्या 5 के साथ घोर अन्याय होगा। मछली पालन का ठेका देने हेतू अप्रार्थी संख्या 1 पंचायत अधिनियम के अनुसार पूर्ण सक्षम है, एंव क्षैत्राधिकार में उक्त टेन्डर को निरस्त किये जाने का अधिकार सिविल कोर्ट को है राजस्व न्यायालय को ठेका निरस्त किये जाने बाबत कोई अधिकार प्राप्त नही है। किसी भी संविदा को भंग करने एंव पालना करवाने का अधिकार

संविदा अधिनियम के अनुसार सिविल न्यायालय को ही है। राजस्व न्यायालय को संविदा भंग करने बाबत कोई अधिकार प्राप्त नही है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे व खर्चे के खारीज किया जावे।

प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 को वर्ष 2012–2013 के लिये मत्स्याखेट के लिये ठेका दिनांक 31.8.2012 को दिया गया उसे निरस्त करने तथा भविष्य में मानाघाटी तालाब किराप में मच्छी पालना का टेण्डर/ठेका नही देने बाबत आदेश पारीत करने तथा मूल वाद के निस्तारण तक प्रतिवादी संख्या 5 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाने का कथन किया है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा जो अनुतोष ठेका निरस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र में चाहा गया है वह अनुतोष मूल वाद में तय किया जायेगा। किन्तु अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर मौजूद नही होना पाया जाता है, कि प्रार्थीगण के हक में प्रथम दृष्टिया मामला बनता है, जबकि अप्रार्थी संख्या 5 के हक में ठेका दिनांक 31.8.2012 को जारी किया जाना प्रार्थीगण के अभिकथनो के अनुसार दिया जाना पाया जाता है, जबकि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 19.7.2013 को प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रार्थीगण के हक में मामला प्रथम दृष्टिया केस व सहुलियत का संन्तुलन बनना नहीं पाया जाता है। जहां पर प्रार्थी द्वारा प्रथम दृष्टिया केस साबित करने में असफल होने पर प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की कोई अपूर्णीय क्षति होना नही पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो।

अतः आदेश आज दिनांक को 18-01-19 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चूण्डावत)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(पर्वतसिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.18 17:20:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: